राजस्व लोक अदालत केम्प कालूडी तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

2018/01280

मुकदमा न0 108 / 2018

वादीगण :– 1 प्रेमकंवर पत्नि जेठूसिंह निवासी वरिया भगजी

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. ग्राम पंचायत कालूडी
2.तहसीलदार पचपदरा जरिये राजस्थान सरकार

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय

दिनांकः–11.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत कालूडी प्रस्तुत की गई है।

वादीनी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम वरीया भगजी के खसरा न0 64, 73, 74, 84, 112, 162, 169, 297, 377 / 134, 397 / 191 रकबा 168.08 बीघा मे वादीगण के उक्त आरजी को खरीद करने के पश्चात म्यूटेशन संख्या 203 भरते समय लिपिकीय भूल से वादी का नाम खीमाराम की बजाय खेराजराम दर्ज कर दिया है। अतः अशुद्व नाम सूरजकंवर पत्नि जेठूसिंह की जगह शुद्व नाम मेहन्द्रसिंह, स्वरूपसिंह पुत्र पूंजराजसिंह करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादीगण द्वारा पेश वाद के साथके प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड ब्यानकर्ता महेन्द्रसिंह, स्वरूपसिंह के गवाह ब्यान व पटवारी कालूडी / आर.आई तिलवाडा व उपतहसीलदार जसोल की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वरीया भगजी के खसरा वरीया भगजी के खसरा न0 64, 73, 74, 84, 112, 162, 169, 297, 377 / 134, 397 / 191 रकबा 168.08 बीघा में वादीगण का अशुद्व नाम सूरजकंवर पत्नि जेठूसिंह की जगह शुद्व नाम प्रेमकंवर पत्नि जेठूसिंह करने की सिफारिश की है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है वादीनी सूरजकंवर पत्नि जेठूसिंह की जगह शुद्व नाम प्रेमकंवर पत्नि जेठूसिंह नाम दर्ज करने के आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.............

Scanned by CamScanner